UPJS100026132022

<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, झांसी ।</u>

मुकदमा सं०- 2110/ 2022

तुलसीराम बनाम रोहित श्रीवास ।

धारा- 138 एन०आई० एक्ट

थाना- गुरसरांय, जिला- झांसी ।

<u>दिनांकः- 04. 07. 2026</u>

पत्रावली पेश हुई । पुकार पर परिवादी अनुपस्थित ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत परिवाद वर्ष 2022 से लम्बित है तथा प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक- 15. 02. 2024 को अभियुक्त को धारा- 138 एन०आई०एक्ट में तलब करने हेतु आदेश पारित किया गया था, परन्तु परिवादी को न्यायालय द्वारा विगत कई तिथियों से अवसर दिये जाने के बावजूद भी वह पैरवी हेतु न्यायालय हाजिर नहीं आ रहा है, न ही उनकी ओर से कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है तथा नियत तिथियों पर लगातार अनुपस्थित चल रहा है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी पक्ष को प्रस्तुत परिवाद में रुचि नहीं रही है और वह प्रस्तुत परिवाद को आगे चलाना नहीं चाहता है । चूंकि प्रकरण में परिवादी द्वारा पैरवी नहीं की जा रही है । परिवाद अदम पैरवी में खारिज किये जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

अतः परिवाद अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो ।

(सृष्टि शुक्ला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, जनपद- झांसी ।
जे०ओ० कोड यू०पी० 4682

Mohd. Anas
Steno